

(1962) 3 SCR 157

द डुआर्स टी कंपनी, लिमिटेड

बनाम

कृषि आय-कर आयुक्त, पश्चिम बंगाल

18 अगस्त 1961

(पी. बी. गजेन्द्रगडकर, के. सुब्बा राव और एम. हिदायतुल्लाह, न्यायाधीश)

कृषि आय- कृषि उपज का उपयोग निर्धारिती के स्वयं के व्यवसाय के लिए किया जाता है और बाजार में नहीं बेचा जाता- यदि स्वयं आय का गठन करता है- बाजार मूल्य- गणना का तरीका- बंगाल कृषि आय-कर अधिनियम, 1944 (IV/1944), धारा 2 (1) (बी) (आई), नियम 4 (2)

अपीलकर्ता, जो चायपत्ती उगाने, उसका उत्पादन और बेचने का व्यवसाय करता था, के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा था, जिस पर वह अपने नौकरों और मजदूरों के माध्यम से कृषि कार्यों द्वारा बांस, घास और ईंधन की लकड़ी उगाता था, और इसका उपयोग इसके चाय व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया था और इसे बाजार में या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा गया था।

प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष में कृषि आयकर अधिकारी ने बांस, घास और ईंधन लकड़ी से इसकी कृषि आय के बाजार मूल्य का वर्णन करते हुए अपीलकर्ता के आयकर रिटर्न में एक निश्चित राशि की वृद्धि की। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि प्रश्नगत कृषि उपज बंगाल कृषि आयकर अधिनियम के तहत कृषि आय का गठन नहीं करती है क्योंकि इसे बेचा नहीं गया था या पैसे में परिवर्तित नहीं किया गया था।

अभिनिर्धारित किया गया कि बंगाल कृषि आय-कर अधिनियम की धारा 2(1) (बी) के खंड (आई) के तहत निर्धारिती द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि उपज भी आय का गठन करती है; इसके तहत किसी भी बिक्री की परिकल्पना नहीं की गई थी और यह आवश्यक नहीं था कि कृषि उपज बेची जाए और ऐसी बिक्री से लाभ या मुनाफा प्राप्त किया जाए।

अलेक्जेंडर टेनेंट बनाम रॉबर्ट सुक्लेयर स्मिथ, (1892) ए. सी. 150, इन रे मिक्लेथवेट, 11 एक्स 456 और सर कीकाभाई प्रेमचंद बनाम आय-कर आयुक्त (केंद्रीय) बॉम्बे, (1954) एस. सी. आर. 219, का संदर्भ दिया गया।

आय कर आयुक्त बनाम शॉ वालेस एंड कंपनी, (1932) एल. आर. 59 आई. ए. 206, कैप्टन महाराज कुमार गोपाल सरन सिंह बनाम आय-कर

आयुक्त, बिहार और उड़ीसा, (1935) एल. आर. 62 आई. ए. 207, प्रयोज्य नहीं।

अधिनियम के तहत बनाया गया नियम 4 (2) उन मामलों से संबंधित है जहां कृषि उपज को बाजार के बाहर भी बेचा गया है और ऐसे मामलों से भी जहां इसे बिल्कुल नहीं बेचा गया है और ऐसी कृषि उपज से आय की गणना इसके तहत निर्धारित तरीके से की जा सकती है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 381/1960

संदर्भ संख्या 102/1952 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 11 सितंबर, 1957 से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थियों के लिए: एस. मित्रा, एस. एन. मुखर्जी और बी. एन. घोष

प्रतिवादियों के लिए: आर. बी. पाल, अशोक सेन और पी. के. बोस

18 अगस्त 1961 न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश गजेन्द्रगडकर द्वारा दिया गया।

एक प्रमाणपत्र द्वारा यह अपील 1944 के बंगाल कृषि आयकर अधिनियम IV (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 63(1) के

तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय में किए गए एक संदर्भ से उत्पन्न हुई है। अपीलार्थी, इअर्स टी कंपनी लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और यह चायपत्ती उगाने, उसके उत्पादन और बिक्री का व्यवसाय करती है। अपीलकर्ता द्वारा लेखांकन वर्ष 1948 के लिए जो मूल्यांकन वर्ष 1949-50 के अनुरूप है, अपनी कृषि आय के संबंध में एक रिटर्न प्रस्तुत किया गया था जिसमें उक्त आय 3,45,702 रुपये दिखाई गई थी। हालांकि, कृषि आयकर अधिकारी ने उक्त रिटर्न की यथार्थता को स्वीकार नहीं किया और राशि बढ़ाकर 4,41,940 रुपये कर दी। इस बढ़ी हुई राशि में 39,849 रुपये की राशि शामिल थी और इससे बांस, घास और ईंधन लकड़ी से अपीलकर्ता की कृषि आय के बाजार मूल्य को दर्शाया गया था। यह वह राशि है जो कृषि आयकर अधिकारी द्वारा संबंधित वर्ष में अपीलकर्ता की कृषि आय में जोड़ी गई है जिसने वर्तमान संदर्भ उत्पन्न हुआ है।

संदर्भ की ओर ले जाने वाले तथ्य में कोई विवाद नहीं है। अपीलकर्ता के पास स्थानीय सरकार से पट्टे के तहत भूमि का एक बड़ा हिस्सा है और मतैक्य है कि उक्त भूमि के एक हिस्से में वह बांस, घास और ईंधन की लकड़ी उगाता है। संबंधित वर्ष के दौरान इसने कुछ बांस, कुछ घास और ईंधन की लकड़ी काट ली और उसका उपयोग अपने व्यवसाय के लिए किया। अपीलकर्ता द्वारा अपनी भूमि पर कृषि कार्यों द्वारा बांस, छप्पर घास और ईंधन की लकड़ी

उगाई गई थी, जिसे अपीलकर्ता द्वारा काम पर रखे गए नौकरों और मजदूरों द्वारा किया जाता था। उनके उगने के बाद उनका उपयोग अपीलार्थी द्वारा अपने चाय व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता था और उन्हें बाजार में या अन्य कहीं नहीं बेचा जाता था। यह पाया गया है कि अपीलार्थी हर साल इस तरह से अपनी भूमि पर उगाए गए बांस, घास और ईंधन लकड़ी का उपयोग करता रहा है।

आयकर अधिकारियों के समक्ष अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि प्रश्नगत कृषि उपज अधिनियम के अर्थ के तहत कृषि आय का गठन नहीं करती है क्योंकि इसे बेचा नहीं गया था। अपीलकर्ता का तर्क यह था कि उसके द्वारा अपनी जमीन पर उगाई गई कृषि उपज को कानूनन तब तक उसकी आय नहीं माना जा सकता जब तक कि इसे उसके धन के समतुल्य ना बदला जाये या किसी ऐसी चीज में परिवर्तित नहीं किया जाता जो **पैसे के लायक हो**; दूसरे शब्दों में, जब तक कि उक्त उपज को बेचा नहीं जाता। दूसरी ओर, विभाग ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी भूमि पर उगाई गई और अपने व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि उपज की कई किस्में स्वयं कृषि आय थीं और उक्त आय को इस दलील पर कर से मुक्त नहीं रखा जा सकता कि उक्त किस्मों को बेचा नहीं गया था। यह विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया; लेकिन न्यायाधिकरण कर

अधिकारियों के निष्कर्ष से सहमत हुआ और अभिनिर्धारित किया कि प्रश्नगत उपज ने संबंधित वर्ष के लिए अपीलकर्ता की कृषि आय का गठन किया, और इसलिए संबंधित वर्ष के लिए अपीलकर्ता की कुल कृषि आय निर्धारित करने में कृषि आयकर अधिकारी द्वारा की गई 39,849 रुपये की बढ़ोतरी की पुष्टि की गई।

कर निर्धारण कार्यवाही में अपीलकर्ता द्वारा यह भी आग्रह किया गया कि भले ही प्रश्नगत उपज ने अपीलकर्ता की कृषि आय का गठन किया, लेकिन इसके बाजार मूल्य की गणना पैसे में नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसी आय के बाजार मूल्य की गणना के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली का नियम 4 वर्तमान मामले में लागू था। इस तर्क को कर अधिकारियों के साथ-साथ न्यायाधिकरण ने भी खारिज कर दिया है। परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा संबंधित वर्ष के लिए अर्जित की गई कृषि आय पर विधिवत कर लगाया गया है।

इस मामले में न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने न्यायाधिकरण दो प्रश्नों को उच्च न्यायालय के समक्ष निर्देशित करने की मांग की, और उचित समय पर न्यायाधिकरण ने उच्च

न्यायालय के विनिश्चय के लिए इसे निर्देशित किया। उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्दिष्ट दो प्रश्न न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार तैयार किए गए हैं:

(1) क्या निर्धारिती कंपनी द्वारा उगाए गए बांस, छप्पर घास, ईंधन इत्यादि को अपने चाय व्यवसाय में अपने लाभ के लिए उपयोग किया गया है, यह बंगाल कृषि आयकर अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत कृषि आय है?; और

(2) यदि प्रश्न (1) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या ऐसी आय की गणना अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के नियम 4 के तहत की जा सकती है?

उच्च न्यायालय ने इन दोनों प्रश्नों का जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ सकारात्मक में दिया है। अपीलकर्ता ने तब आवेदन किया और संविधान के अनुच्छेद 135 सपठित अधिनियम की धारा 64(2) के तहत उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उच्च न्यायालय ने प्रमाणित किया है कि यह मामला इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि इसे दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर लिया था कि यह मामला निर्धारिती और विभाग द्वारा एक परीक्षण मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि सभी चाय कंपनियां वर्तमान संदर्भ में उठाए गए सवालों में रुचि रखती

हैं। इसी प्रमाणपत्र के साथ अपीलकर्ता अपनी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष आया है।

पहले प्रश्न का उत्तर अधिनियम की धारा 2(1)(बी) में निहित कृषि आय की परिभाषा पर निर्भर करेगा। चार्जिंग सेक्शन धारा 3 है। यह प्रावधान करती है कि इसके दो परंतुकों के अधीन कृषि आयकर, प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ और भाग बी राज्य के प्रत्येक शासक की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष की कुल कृषि आय के संबंध में अनुसूची में निर्दिष्ट दर या दरों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा। धारा 7 "कृषि से कृषि आय" शीर्षक के तहत कर और भत्तों की गणना का प्रावधान करती है। क्या धारा 2 द्वारा कृषि आय की परिभाषा में प्रयुक्त प्रासंगिक और महत्वपूर्ण शब्द वर्तमान मामले में कराधान के विषय तक पहुंचते हैं? यह छोटा सा प्रश्न है जिस पर हमें निर्णय करना है।

धारा 2(1)(ए) कृषि आय से संबंधित है जिसमें भूमि से प्राप्त किराया या राजस्व शामिल है, जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है और इसका आंकलन या तो किसी राज्य में भू-राजस्व के लिए किया जाता है या सरकार के अधिकारियों द्वारा स्थानीय दर के आधार पर आकलन या वसूल

किया जाता है। हम परिभाषा के इस भाग से चिंतित नहीं हैं। धारा 2(1)(बी) इस प्रकार है:

"ऐसी भूमि से प्राप्त कोई भी आय जो:

(i) कृषि द्वारा, या

(ii) एक कृषक द्वारा या वस्तु रूप में किराया प्राप्त करने वाला किसी भी प्रक्रिया का प्राप्तकर्ता, जो आमतौर पर कृषक द्वारा नियोजित होता है या वस्तु के रूप में किराया प्राप्तकर्ता जो उसके द्वारा उगाए गए या प्राप्त किए गए उत्पाद को बाजार में ले जाने लायक बनाता है, या

(iii) किसी कृषक द्वारा या वस्तुरूप में किराया प्राप्तकर्ता द्वारा उगाई गई या प्राप्त उपज की बिक्री, जिसके संबंध में मद (ii) में वर्णित प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया निष्पादित नहीं की गई है।"

प्रतिवादी, पश्चिमी बंगाल के कृषि आयकर आयुक्त, का तर्क है कि वर्तमान मामले में कृषि उपज सीधे धारा 2(1)(बी)(i) के अंतर्गत आती है। यह कृषि भूमि से कृषि द्वारा प्राप्त आय है। अपीलकर्ता द्वारा इस बात पर कोई

विवाद नहीं है कि संदर्भ में आय का मतलब नकद या वस्तु के रूप में आय हो सकता है। अपीलकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि शब्द "आय" के शब्दकोषीय अर्थ में "खेत की उपज" शामिल है, और इसलिए यदि हम "आय" शब्द के शब्दकोषीय अर्थ के प्रकाश में प्रासंगिक खंड का अर्थ लगाते हैं तो इसमें कृषि उपज भी शामिल होती हैं, जिनसे हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं। हालाँकि, यह आग्रह किया गया कि "आय" शब्द आवश्यक रूप लाभ या मुनाफे को दर्शाता है, और; इसका संबंध लाभ या मुनाफे से है, और लाभ या मुनाफा तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उपज बेच न दी जाए और उसका मूल्य न प्राप्त कर लिया जाए। कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ व्यापार नहीं कर सकता है और इसलिए यदि कृषि उपज का उपयोग अपीलकर्ता द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो लेनदेन में बिक्री का कोई तत्व शामिल नहीं है और ऐसा कोई लाभ या मुनाफा नहीं हो सकता है जो उक्त उपज पर कर लगाने को उचित ठहराए।

इस तर्क के समर्थन में, हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि अधिनियम की धारा 2 द्वारा निर्धारित कृषि आय की परिभाषा कृषि आय के संबंध में सभी राज्य अधिनियमों के लिए समान है और यह आयकर अधिनियम की धारा 2(1) द्वारा निर्धारित कृषि आय की परिभाषा के समान है। यही परिभाषा संविधान द्वारा अनुच्छेद 366(1) के तहत अपनाई गई है। ऐसा

होने पर, यह तर्क दिया गया है कि "आय" शब्द की व्याख्या करने में आयकर अधिनियम के तहत निर्णयों पर भरोसा करना प्रासंगिक होगा। अलेक्जेंडर टेनेंट और रॉबर्ट सिंकलेयर स्मिथ ([1892] ए. सी. 150,154) में लॉर्ड हैल्सबरी ने इन री मिकलेथवेट (11 एक्स 456) में लॉर्ड वेन्सलेडेल की टिप्पणी को मंजूरी के साथ उद्धृत किया है कि "यह एक सुस्थापित नियम है, कि इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट शब्दों के बिना विषय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए;" और यह भी कि संसद के प्रत्येक अधिनियम को उसके शब्दों की स्वाभाविक संरचना के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए"। उस मामले में यह माना गया था कि अपीलकर्ता निर्धारिती को बैंक द्वारा उसके लिए किराया-मुक्त घर प्रदान करने से जो लाभ प्राप्त हुआ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे रसीद के रूप में गिना जा सके या उचित रूप से आय के रूप में वर्णित किया जा सके। अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री मित्रा का तर्क है कि आय स्पष्ट रूप से और आवश्यक रूप से लाभ या मुनाफे को दर्शाती है, और जिस घर को निर्धारिती अलेक्जेंडर टेनेंट द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, के बारे में जो सच है, वह अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के बारे में भी उतना ही सच है। अपीलकर्ता को अपनी भूमि से प्राप्त कृषि उपज से कोई लाभ या मुनाफा प्राप्त नहीं हुआ है, और इसलिए उक्त उपज को धारा 2(1)(बी)(आई) के तहत उसकी आय नहीं कहा जा सकता है।

इसी तर्क को सर कीकाभाई प्रेमचंद बनाम आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बॉम्बे ([1954) एस. सी. आर 219) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अधिकार पर दूसरे रूप में रखा गया है। उस मामले में न्यायाधीश बोस, जिन्होंने अधिकांश न्यायालयों के के लिए बोला है, ने कहा कि यह सुस्थापित है कि राजस्व मामलों में लेनदेन के केवल स्वरूप के बजाय उसके सार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और यह भी अवलोकन किया कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में, तकनीकी पहलुओं की अनदेखी करते हुए, इस तथ्य से बचना संभव नहीं था कि व्यवसाय का स्वामित्व और संचालन करदाता के पास ही था; और यदि उसे कर के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो "आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां एक व्यक्ति स्वयं को ही उत्पाद बेच रहा होगा और इस तरह खुद से लाभ कमा रहा होगा, जो पहली नजर में न केवल बेतुका है, बल्कि व्यापारिकता और आयकर कानून के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है।" श्री मित्रा का सुझाव है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि उपज पर कर लगाने में प्रतिवादी वास्तव में अपीलकर्ता पर इस आधार पर कर लगा रहा है कि उसने स्वयं के साथ व्यापार किया है और प्रश्नगत कृषि उपज पर लाभ कमाया है।

यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि धारा 2(1)(एच)(आई) द्वारा परिभाषित आय हमेशा लाभ या मुनाफे के रूप में होनी चाहिए, और यह

अनिवार्य रूप से लाभ या मुनाफे पर किए गए बिक्री लेनदेन को दर्शाती है। श्री मित्रा इस तर्क के लिए आयकर अधिनियम की धारा 1 और 6 के प्रावधानों से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, जहां आय, लाभ और मुनाफे को एक साथ समूहीकृत किया गया है। श्री मित्रा कहते हैं, आयकर अधिनियम के तहत "आय" शब्द के अर्थ के बारे में जो सच है, वह अधिनियम की धारा 2(1)(बी) (आई) के तहत "आय" शब्द के अर्थ के बारे में भी उतना ही सच होना चाहिए।

इस तर्क से निपटने में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि "आय" शब्द का उपयोग भले ही आयकर अधिनियम में किया गया हो, लेकिन अक्सर न्यायिक निर्णयों में इसका दायरा काफी व्यापक और अस्पष्ट होता है। यह लोचदार आयात का शब्द है और इसकी सीमा और व्यापकता धारा 4 और 6 में "लाभ और मुनाफा" शब्दों के उपयोग से नियंत्रित या सीमित नहीं है। जैसा कि आयकर आयुक्त बनाम शॉ वालेस एंड कंपनी ((1932) एल. आर. 59 आई. ए. 206,212) में सर जॉर्ज लोन्डेस द्वारा देखा गया है, भारतीय आयकर का उद्देश्य आय पर कर लगाना है जिसे वह परिभाषित नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका अर्थ आय, लाभ और मुनाफे तक विस्तृत है, लेकिन यह विस्तार सार की तुलना में शब्दों का मामला अधिक है। कैप्टन महाराज कुमार गोपाल सरण नारायण सिंह बनाम आयकर आयुक्त, बिहार और

उड़ीसा ((1935) एल. आर. 62 आई. ए. 207) मामले में लॉर्ड रसेल की टिप्पणी भी ऐसी ही है, जहां यह देखा गया है कि ""आय" शब्द "लाभ" और "मुनाफा" शब्दों तक सीमित नहीं है। कोई भी चीज़ जिसे उचित रूप से आय के रूप में वर्णित किया जा सकता है वह अधिनियम के तहत कर योग्य है जब तक कि स्पष्ट रूप से इसे छूट न दी गई हो।" आय के विविध रूप जो हो सकते हैं उन्हें विस्तृत रूप से गिना नहीं जा सकता है, और इसलिए प्रत्येक मामले में इस प्रश्न का निर्णय कि कोई विशेष रसीद आय है या नहीं, रसीद की प्रकृति और प्रासंगिक कर प्रावधान के वास्तविक दायरे और प्रभाव पर निर्भर होना चाहिए। रसीद कराने के उद्देश्य से आय हो सकती है, हालांकि यह लाभ की राशि नहीं हो सकती है। गोपाल सरन नारायण सिंह ((1935) एल. आर. 62 आई. ए. 207) का मामला स्वयं इसका उदाहरण है। उस मामले में 47 वर्षीय निर्धारिणी ने जीवन भर के लिए 2,40,000 रुपये की अपेक्षाकृत छोटी वार्षिकी के लिए दो करोड़ रुपये की संपत्ति हस्तांतरित की थी। उक्त वार्षिकी निर्धारिणी को लाभ या मुनाफा प्रदान नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी यह आय के रूप में कर योग्य थी। इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 4 और 6 में "लाभ और मुनाफा" शब्दों के उपयोग पर जोर देने पर आधारित तर्क वास्तव में अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 2(1)(बी)(आई) की व्याख्या करने में सहायता नहीं कर सकता है जिससे हम चिंतित हैं।

"आय" शब्द क्या दर्शाता है यह उक्त धारा के संदर्भ में ही निर्धारित किया जाना है।

धारा 2(1)(बी) पर वापस जाएं तो यह भूमि से प्राप्त आय को संदर्भित करता है जिसका अर्थ है भूमि से उत्पन्न होना और यह उस आय को दर्शाता है जिसका निकटतम और प्रभावी स्रोत भूमि है। धारा 2(1)(बी) में तीन खंड हैं। आइए सबसे पहले खंड (ii) और (iii) को समझें। खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया के प्रदर्शन से प्राप्त आय के मामले शामिल हैं। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो आमतौर पर कृषक या वस्तु के रूप में लगान प्राप्तकर्ता द्वारा अपनाई जाती है; यह सरल मैनुअल प्रक्रिया हो सकती है या इसमें मशीनरी का उपयोग और सहायता शामिल हो सकती है। यह इस प्रावधान की पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता यह है कि उक्त प्रक्रिया को उपज को विपणन योग्य बनाने के उद्देश्य से नियोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि दूसरे खंड में विचार की गई प्रक्रिया के प्रयोग से उत्पाद के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। उत्पाद को अपना मूल स्वरूप बरकरार रखना चाहिए और उत्पाद में जो एकमात्र बदलाव लाया जा सकता है, वह है इसे विपणन योग्य बनाना। उपज की स्थिति में उक्त परिवर्तन का उद्देश्य केवल उपज को बाजार में विक्रय योग्य वस्तु बनाना है। इस प्रकार खंड (ii) में आय की श्रेणियों में उस खंड के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया को लागू करने

से प्राप्त आय शामिल है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि अपेक्षित प्रक्रिया को नियोजित करने का उद्देश्य उपज को विपणन योग्य बनाना है, लेकिन संदर्भ में यह खंड बिक्री का संदर्भ नहीं देता है और इसमें यह अपेक्षित नहीं है कि बिक्री से आय प्राप्त की जानी चाहिए, हालांकि एक अर्थ में यह उपज की बिक्री पर विचार करता है।

यह हमें खंड (iii) पर ले जाता है। यह खंड स्पष्ट रूप से बिक्री से प्राप्त आय को संदर्भित करता है। यह उस बिक्री मूल्य को संदर्भित करता है जो कृषक या वस्तु के रूप में किराया प्राप्तकर्ता द्वारा उपज की बिक्री से प्राप्त होता है जिसके संबंध में खंड (ii) में विचार की गई प्रक्रिया निष्पादित की गई है। यह महत्वपूर्ण है कि जिस बिक्री को खंड (iii) संदर्भित करता है वह उस उपज की बिक्री होनी चाहिए जो खंड (ii) द्वारा विचारित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि खंड (ii) और (iii) को एक साथ पढ़ने से वे उपज की बिक्री पर विचार करते हैं- खंड II) अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यह उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए नियोजित प्रक्रिया को संदर्भित करता है और खंड (iii) सीधे तौर पर इसे संदर्भित करता है। उपज की बिक्री से प्राप्त कीमत को संदर्भित करता है जिसे खंड (ii) द्वारा विचारित प्रक्रिया के अधीन किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त आय को खंड (ii) और (iii) द्वारा प्रदान

किया गया है और प्रथम दृष्टया यह दिखाएगा कि खंड (i) जो बिक्री को संदर्भित नहीं करता है, यहां तक कि कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त आय के मामले में अप्रत्यक्ष रूप से भी इसे कवर करने का इरादा नहीं किया जा सकता है।

धारा 2(1)(बी) के खंड (ii) और (iii) के आलोक में विचार करने पर खंड (i) द्वारा विचारित आय का वास्तविक दायरा और प्रभाव क्या है? शब्दों के अनुसार यह खंड कृषि भूमि से कृषि द्वारा प्राप्त आय पर विचार करता है; और जैसा कि हमने पहले ही वस्तुगत शब्दों को उनका साधारण व्याकरणिक अर्थ देते हुए बताया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि उपज इस खंड के तहत आय का गठन करती है। क्या इस संदर्भ में ऐसा कुछ है जिसके लिए अपीलकर्ता द्वारा सुझाए गए इस खंड की व्याख्या में बिक्री की अवधारणा की शुरुआत की आवश्यकता है? हमारी राय में इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। न केवल उस संदर्भ में कोई संकेत नहीं है जो प्रासंगिक खंड में बिक्री की अवधारणा के आयात को उचित ठहराएगा, बल्कि जैसा कि हमने अभी खंड (ii) और (iii) द्वारा प्रदान किए गए संकेत का संकेत दिया है, यह बिल्कुल विपरीत है। इस खंड में जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह कृषि उपज ही है जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा किया गया है। वर्तमान मामले में यह सामान्य बात है कि अपीलकर्ता ने अपने व्यवसाय के लिए संबंधित कृषि

उपज का उपयोग किया है और हमें उच्च न्यायालय से सहमत होने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है जब उसने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता द्वारा अपने व्यवसाय के लिए उपयोग की गई कृषि उपज धारा 2(1)(बी)(i) के तहत आय के अंतर्गत आती है। यदि अपीलकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली कृषि उपज को धारा 2(एल)(बी) के तहत आय की परिभाषा में शामिल करने का इरादा नहीं था, तो हमें आशंका है कि पूरे खंड को बहुत अलग तरीके से लिखा गया होगा। जहां बिक्री से प्राप्त आय निर्धारित करने का इरादा था, विधायिका ने धारा 2(आई)(बी) के खंड (iii) के अनुसार ऐसा किया है। जहां निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के नियोजन से उत्पन्न उपज की विपणन योग्य स्थिति और ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने से प्राप्त आय को आय में शामिल करने का इरादा था, विधायिका ने खंड (ii) द्वारा ऐसा किया है; और इसलिए उन दो मामलों को विशेष रूप से दो संबंधित खंडों द्वारा प्रावधान किया गया है, धारा 2(1)(बी) के खंड (i) में बिक्री की अवधारणा को पेश करने का कोई औचित्य नहीं होगा। धारा 2(एल)(बी)(आई) में शब्द, हमारी राय में, व्यापक, स्पष्ट और स्पष्ट हैं और उन्हें अपीलकर्ता द्वारा अपने व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि उपज को बाहर करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में हम संयोगवश अधिनियम की धारा 7(1) के उप खंड (i), (ii) और (iii) के प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं जो "कृषि से कृषि आय"

शीर्षक के तहत कर और भत्तों की गणना का प्रावधान करते हैं। ये तीन उप-खंड धारा 2(1)(बी) के तीन उप-खंडों के अनुरूप हैं और इस निष्कर्ष को कुछ समर्थन देते हैं कि धारा 2(1)(बी) के खंड (i) में यह आवश्यक नहीं है कि कृषि उपज बेची जानी चाहिए और ऐसी बिक्री से प्राप्त लाभ या प्राप्ति को उक्त खंड में शामिल करने से पहले किया जाना चाहिए। इसलिए, हमें नहीं लगता कि श्री मित्रा का यह तर्क उचित है कि प्रश्न 1 के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उत्तर गलत है।

दूसरा प्रश्न अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कृषि आय की गणना से संबंधित है। नियम 4 जिसके निर्माण से दूसरे प्रश्न का संबंध है, इस प्रकार है:

"4. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी भी कृषि उपज का बाजार मूल्य, धारा 8 की उपधारा (आई) के परंतुक के खंड (ए) में निर्दिष्ट मामले को छोड़कर, निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1) यदि कृषि उपज बाजार में बेची गई थी, तो बाजार मूल्य वह मूल्य माना जाएगा जिसके लिए ऐसी उपज बेची गई थी;

(2) यदि कृषि उपज बाजार में नहीं बेची गई है तो बाजार मूल्य माना जाएगा-

(ए) जहां इस तरह की उपज आम तौर पर कच्ची अवस्था में बाजार में बेची जाती है, या इसे बाजार में ले जाने के लायक बनाने के लिए किसान या किराए के प्राप्तकर्ता द्वारा आमतौर पर नियोजित किसी प्रक्रिया के बाद, मूल्य की गणना की जाती है उस औसत कीमत के अनुसार जिस पर पिछले वर्ष के दौरान इलाके में ऐसी उपज बेची गई है जिसके संबंध में मूल्यांकन किया गया है;

(बी) जहां ऐसी उपज आमतौर पर उपखंड (ए) में निर्दिष्ट तरीके से बाजार में नहीं बेची जाती है, वहां का कुल योग-

(i) खेती का खर्च;

(ii) भू-राजस्व या किराया, उस क्षेत्र के लिए भुगतान किया गया जिसमें यह उगाया गया था; और

(iii) ऐसी राशि जिसे कृषि आयकर अधिकारी, प्रत्येक मामले में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कृषि उपज के रूप में प्रश्न में उपज की बिक्री पर लाभ की उचित दर का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाता है।"

यह स्पष्ट है कि नियम 4(1) अपीलकर्ता मामले पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में कृषि उपज बाजार में नहीं बेची गई है, बल्कि अपीलकर्ता द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए उपयोग की गई है। अपीलकर्ता का तर्क है कि नियम 4(2) को भी इसके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है, और इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत प्रश्नगत कृषि आय की गणना की जा सके। संयोग से अपीलकर्ता ने सुझाव दिया कि यदि नियम 4(2) सही है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से धारा 2(एल)(बी)(आई) के वास्तविक दायरे और प्रभाव के बारे में उसके मामले का समर्थन करता है। विधानमंडल को पता था कि कृषि उपज तब तक कर योग्य नहीं है जब तक कि इसे बेचा न जाए, और इसलिए इसने निर्धारिती द्वारा अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि उपज से प्राप्त होने वाली कथित कृषि आय की गणना के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी का तर्क है कि नियम 4(2) वर्तमान मामले को कवर करता है, और यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी के अनुसार, यह "संयोगवश धारा 2(1)(बी)(i) का समर्थन करेगा।

अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तर्क में यह माना गया है कि दोनों नियम एक प्रकार के बुनियादी द्वंद्व पर आधारित हैं। नियम 1 बाजार में बेची जाने वाली कृषि उपज से संबंधित है, और नियम 2 उस कृषि उपज से संबंधित है जो बेची गई है लेकिन बाजार में नहीं। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता के अनुसार,

दोनों नियम मानते हैं कि कृषि उपज वास्तव में बेची गई है, नियम (1) उन मामलों से संबंधित है जहां इसे बाजार में बेचा गया है और नियम (2) उन मामलों से संबंधित है जहां इसे बेचा गया है लेकिन बाजार में नहीं। यदि यह तर्क सही है तो निश्चित रूप से ऐसे मामले जहां कृषि उपज नहीं बेची गई है वे दोनों नियमों के दायरे से बाहर रहेंगे; लेकिन क्या ये तर्क सही है? हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई झिझक नहीं है कि ऐसा नहीं है। हमारी राय में, नियम (2) उन मामलों से संबंधित है जहां कृषि उपज बाजार के बाहर बेची गई है और साथ ही ऐसे मामलों से भी जहां कृषि उपज बिल्कुल भी नहीं बेची गई है। दोनों उप-नियमों को एक साथ पढ़ने का प्रभाव यह है कि बाजार बिक्री के मामले नियम (1) के अंतर्गत आते हैं और अन्य सभी मामले नियम (2) के अंतर्गत आते हैं। नियम (2) एक अवशिष्ट नियम है जो नियम (1) के अंतर्गत नहीं आने वाले सभी मामलों पर लागू होता है। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न 2 का दिया गया उत्तर भी सही है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाए गए नियमों को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को समझने के उद्देश्य से वैध रूप से लागू नहीं किया जा सकता है; फिर भी, संयोग से यह देखने की अनुमति हो सकती है कि नियम 4(2) का निर्माण जिसे हम अपनाने के इच्छुक हैं, प्रतिवादी के मामले के अनुरूप है कि धारा 2 (1)(बी)(i) में

अपीलकर्ता द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि उपज शामिल है।

परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और लागतों के साथ खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।